पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मुरारी कुमार सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 1170

23 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पाण्डेय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या बलुआ बाजार थाना वाद संख्या 34/2012 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 101/2013 में पारित विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-1, सुपौल द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को बरी करने का निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302 और 304 बी—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 113 बी—दहेज हत्या—उत्तरदाता संख्या 2 मृतका का पति था—अपीलकर्ता मृतका का पिता है—अपीलकर्ता की पुत्री ने आत्महत्या की—अपीलकर्ता ने दावा किया कि यह दहेज की मांग के कारण हत्या थी।

निर्णय: मृतका के साथ उसके आत्महत्या करने से पहले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है—मृतका द्वारा आत्महत्या करने से तीन दिन पहले रेफ्रिजरेटर की मांग की कहानी भी साबित नहीं हो सकी—आईओ ने मृतका और उसके परिवार के सदस्यों के टेलीफोनों की सीडीआर नहीं निकाली, जो यह साबित करने के लिए साक्ष्य हो सकती थी कि मृतका ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अपने परिवार के सदस्यों से बात की थी—ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उसकी मृत्यु से कुछ

समय पहले, मृतका के साथ दहेज के लिए दुर्व्यवहार या यातना दी गई थी—निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है—अपील खारिज। **(पैराग्राफ 23, 25, 26, 27)**

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

दहेज हत्या; दुर्व्यवहार; मांग; आत्महत्या

प्रकरण से उत्पन्न

बलुआ बाजार थाना केस संख्या 34/2012 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 101/2013 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1, सुपौल द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को बरी करने के निर्णय दिनांक 20.07.2019 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री योगेश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अनुज कुमार, अधिवक्ता; सुश्री प्रियंका सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से: श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स. लो. अ.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 1170

थाना कांड सं.-34, वर्ष-2012 थाना-बलुआ बाजार जिला-सुपौल से उद्भूत

==

मुरारी कुमार सिंह पिता-स्वर्गीय सीता राम सिंह, निवासी-गाँव-मकनपुर, थाना-बरसालीगंज, जिला-नवादा

... ... अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. धीरज कुमार, पिता- सतेंद्र प्रसाद, निवासी- गाँव-नरसिंहपुर, थाना-जयसम्पुर मोरे, जिला-शेखपुरा

.... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री योगेश चंद्र वर्मा (वरिष्ठ अधिवक्ता)
: श्री अनुज कुमार (अधिवक्ता)
: सुश्री प्रियंका सिंह (अधिवक्ता)
उत्तरदाता सं. 2 के लिए : श्री मुकेश कुमार (अधिवक्ता)
राज्य के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा (स. लो. अ.)

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक : 23-08-2023

1. अपीलकर्त्ता/सूचनाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री योगीश चंद्र वर्मा को सुना, जो उत्तरदाता सं. 2, को बरी किये जाने के निर्णय से व्यथित हैं, जिनका

प्रतिनिधित्व यहाँ विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार ने किया है। हमने राज्य के विद्वान स. लो. अ. श्री दिलीप कुमार सिन्हा को भी सुना है।

2. वर्तमान अपील के माध्यम से, अपीलकर्ता ने उत्तरदाता सं. 2 के बरी होने को चुनौती दी है जो कि माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1, सुपौल द्वारा 2013 के सत्र वाद सं. 101, जो 2012 के बलुआ बाजार थाना कांड सं. 34 से उत्पन्न हुआ, में दिनांक 20.07.2019 को पारित निर्णय के तहत किया गया था।

3. उत्तरदाता सं. 2 मृतक का पति है जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 303 और 304बी के तहत आरोप तय किए गए थे। सूचनाकर्ता/अपीलकर्ता से पी डब्लू 4 के रूप में पूछताछ की गई है, उसने 23.09.2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी बेटी की शादी उत्तरदाता सं. 2 से वर्ष 2006 में की थी। विवाह के बाद से ही, वह अपीलकर्ता के परिवार के प्रति पूरा सम्मान रखता था, लेकिन अपने माता-पिता और भाई के कहने पर उत्तरदाता सं. 2 बार-बार पैसे की मांग करते रहे। अब तक, उत्तरदाता सं. 2 द्वारा रखी गई सभी माँगें उनके द्वारा पूरा किया गया था। लगभग चार दिन पहले, उत्तरदाता सं.2 ने एक फ्रिज की मांग की थी। जैसा कि अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता द्वारा दावा किया गया है, 22.09.2012 को, उनकी बहू को एक टेलीफोन कॉल आया कि मृतक ने गला घोंटकर आत्महत्या कर ली है। इस जानकारी पर, सूचनादाता इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शायद फ्रिज की मांग को पूरा न करने के कारण उत्तरदाता सं. 2 ने मृतक की हत्या कर दी। उत्तरदाता सं. 2 ने यह भी धमकी दी थी कि उसके गाँव के घर में पत्नी की हत्या कर दूसरी शादी करना बहुत आम बात है।

4. अभी. सा. 4, बलुआ बाजार (ललितग्राम) थाना द्वारा दर्ज की गई पूर्व उल्लिखित रिपोर्ट के आधार पर 2012 का मामला संख्या 34 दिनांक 23.09.2012 को भा. दं. सं. की धारा 304 बी, 120बी और 34 के तहत अपराधों की जांच के लिए

दर्ज किया गया था।

5. हालांकि, पुलिस ने जांच में पाया कि भा. दं. सं. की धारा 304 (बी) के तहत कोई मामला नहीं बनाया गया था, लेकिन अन्य आरोपी व्यक्तियों में से केवल उत्तरदाता सं. 2 को ही भा. दं. सं. की धारा 302/120 बी. के तहत अपराध के लिए मुकदमे के लिए भेजा। हालाँकि, उत्तरदाता सं. 2 के खिलाफ भा. दं. सं. की धारा 304 बी और धारा 302 दोनों के तहत आरोप तय किये गए।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की जांच करने के बाद विचारण न्यायालय ने उत्तरदाता सं. 2 को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

7. अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री योगेश चंद्र वर्मा ने दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने भा. दं. सं. की धारा 302 के तहत आरोप से निपटने में बहुत ही लापरवाही बरती है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि फैसले के सार से, यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा भा. दं. सं. की धारा 304 बी के संदर्भ में साक्ष्य का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके तहत उत्तरदाता सं. 2. के खिलाफ भी आरोप तय किये गए थे। भा. दं. सं. की धारा 304 बी के तहत आरोपों के साथ, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में निहित प्रावधान लागू होंगे, जिसे विचारण न्यायालय ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

8. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि गवाहों के बयान के माध्यम से एकत्र की गई परिस्थितियों से, यह प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, मृतक को उत्तरदाता सं. 2 और अन्य लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया था और यदि मृतका ने आत्महत्या भी की थी, तो भी उत्तरदाता सं. 2 उसे ऐसा करने के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार था। श्री वर्मा शोक व्यक्त करते हैं कि मामले के इन पहलुओं की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। यह दावा किया गया है की चिकित्सा गवाही, आँखों से

दिए गए बयां से पूरी तरह से मेल खाती है, भले ही किसी ने भी घटना को नहीं देखा है। मृतका के शरीर पर ठोड़ी के नीचे और गर्दन के ऊपर एक निरंतर गला घोटने के निशान के रूप में मृत्यु पूर्व की चोट थी जो फांसी के मामले में संभव नहीं हो सकती है। यह तर्क दिया गया है कि फांसी के मामलों में गला घोंटने के निशान हमेशा अनियमित होता है जबकि गाला घोंटने के मामले में यह नियमित गला घोंटने के निशान से अलग होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि जिस कमरे में मृतक की हत्या की गई थी, वहां एक प्लास्टिक की रस्सी की बरामदगी से, धारा 304 बी/302 के तहत अपराध साबित हो जाता है। मृतका के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं थी, यह अभियोजन पक्ष के बयान पर पूरी तरह से अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है।

9. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि गवाह, अर्थात् 1, 2, 3 और 4 जो क्रमशः मृतक के भाई-बहन और माता-पिता हैं जिनमे अपीलकर्ता /सूचनाकर्ता भी शामिल है, ने अभियोजन पक्ष के इस मामले का समर्थन किया है कि मृतक को उत्तरदाता सं. 2 और अन्य द्वारा पैसे के लिए परेशान किया जा रहा था। विचारण न्यायालय द्वारा इस पहलू को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह आकलन करने में गलती की कि मृतक की मृत्यु उसकी शादी के सात साल बाद हुई थी। श्री वर्मा ने तर्क दिया कि परिवार के सदस्य ही किसी की शादी के वर्ष को जानने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होते हैं। केवल इसलिए कि उत्तरदाता सं. 2 के दो पड़ोसी ने आरोप लगाया था कि उन्हें पता था कि मृतक का विवाह उत्तरदाता सं. 2 से वर्ष 2004 में हुआ था न कि 2006 में, उत्तरदाता सं. 2 के साथ मृतक के विवाह के वर्ष के संबंध में अभि. सा. 1 से 4 पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त मजबूत आधार नहीं होगा।

10. इन आधारों पर यह आग्रह किया गया है कि बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

11. हालांकि उत्तरदाता सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय के फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभिलेख पर मौजूद सभी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया है और विचारण न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि आरोप झूठा है।

12. पक्षकारों की दलीलों को समझने के लिए, हमने गवाहों के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की है।

13. मुरारी कुमार, जो मृतक के भाई हैं से अभी. सा. 1 के रूप में पूछताछ की गई है, जिसने हालांकि अभियोजन मामले का समर्थन किया है, लेकिन कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो सामान्य अभियोजन पक्ष के बयान के अनुरूप नहीं हैं। मृतक की मां सुदामा देवी (अभी. सा. 2) और मृतक की बहन इंदु कुमारी (अभी. सा. 3) के मामले में भी ऐसा ही है। अपीलकर्ता /सूचनाकर्ता ने अपनी जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने पुलिस के सामने यह नहीं कहा था कि मृतक की मृत्यु से पहले 3 से 4 दिन पहले कोई मांग की गई थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता से नियमित अंतराल पर धन की निरंतर मांग की कहानी को साबित नहीं किया जा सका। यदि पति-पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण होते, तो अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता ने अपनी बेटी को उसके ससुराल में प्रताड़ित होते देखने के लिए इतने वर्षों तक इंतजार नहीं किया होता। इस तथ्य का कोई खंडन नहीं किया गया है कि मृतक ने विवाह से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था और कुछ गुप्त बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा था जो कुछ समय बाद घातक हो सकते थे। इससे मृतका मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी, जिसने अपनी जीवन समाप्त करने की कोशिश की और सफल रह

14. हमने डॉक्टर (अभी. सा. 5) के बयान की जांच की है जिन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया था। उन्होंने 22.09.2012 को दोपहर 12:05 बजे शव परीक्षण किया था मृतक का चेहरा उभरा हुआ पाया था। ऊपरी पलक प्रमुख रूप से सूज गई थी और जीभ बाहर निकल गई थी। गर्दन के ऊपरी हिस्से पर 1 से. मी. x 2 1/2 से. मी. की चौड़ाई का एक गला घोंटने का निशान था। त्वचा के नीचे की वाहिकाएं भी प्रमुख रूप से उभरी हुई पाई गईं। हालाँकि, अन्य अंगों के अंदरूनी हिस्से सही सलामत थे। कंठिका हड्डी टूटे हुए पाए गए। ऊपरी अंगों में हल्के रूप में शव कठोरता (रिगर मॉर्टिस) मौजूद थी। मृत्यु का कारण हृदय एवं श्वसन क्रिया की विफलता आँका गया जो गाला घोंटने के लिए होमिसाइडल टर्निक्विकेट के अनुप्रयोग के कारण उत्पन्न हुई थी। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पस्ट किया है कि टर्निक्विकेट का अर्थ है कोई भी रस्सी या धागा। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें उसकी गर्दन या शरीर के अन्य हिस्से पर हमले का कोई निशान नहीं मिला है। उन्होंने आगे यह समझाने की कोशिश की है कि खुद को फांसी लगाने में, हमेशा इस बात की संभावना रहती है कि गाला घोंटने का निशान तिरछा हो और नियमित न हो।

15. शव परीक्षण रिपोर्ट से हम पाते हैं कि अभी. सा. 5 द्वारा बिना किसी मजबूत आधार के अनुमान लगाए गए थे। आम तौर पर, टर्निक्विकेट एक उपकरण होता है जिसका उपयोग रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए एक अंग या छोर पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। उपकरण अक्सर शल्य चिकित्सा में या शल्य चिकित्सा के बाद के पुनर्वास में आपात स्थितियों में उपयोग में होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि छड़ी और रस्सी से एक साधारण टर्निक्विकेट बनाया जा सकता है, लेकिन यह उस उद्देश्य के लिए अप्रभावी है जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, कमरे में केवल प्लास्टिक की रस्सी का केवल एक छोटा टुकड़ा मिला था जिसे जब्त कर लिया गया था। गर्दन पर टर्निक्विकेट से दबाव

पड़ने के कारण दम घुटने के लिए रस्सी को किसी अन्य यांत्रिक उपकरण से जोड़ा जाना था। अगर ऐसा होता तो उपकरण का दूसरा हिस्सा भी कमरे में मौजूद होता और पुलिस उसे जब्त कर लेती। इसका इस्तेमाल मृतक के शरीर पर पूर्व-शव परीक्षण चोटों के माध्यम से भी स्पष्ट होता है। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई चोट नहीं थी, मृतक की गर्दन पर तो बिलकुल ही नहीं।

16. यह सच है कि आत्म-फांसी के मामलों में, गला घोटने का निशान आमतौर पर तिरछा होता है। अनुभव से पता चला है कि इस तरह के फांसी में, गला घोटने का निशान सम्बद्ध नहीं होता है और ठोड़ी और स्वरयंत्र के बीच गर्दन में ऊपर की ओर मौजूद होता है। हालांकि, इस तरह के धरणा का समर्थन करने के लिए अन्य गौण लक्षण/संकेत भी हैं कि मृत्यु गला घोंटने से हुई है न कि आत्म-फांसी से। फांसी के मामलों में, यह लगभग दुर्लभ है कि गला घोंटने के चिह्न के किनारों के आसपास कोई घर्षण या नील (चोट के निशान) पाया जाए। वर्तमान मामले में, गला घोंटने के निशान के पास कोई घर्षण या नील (चोट के निशान) नहीं है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह गला घोंटने या दम घुटने का मामला नहीं है। गर्दन की मांसपेशियों में कोई चोट लगने की सूचना नहीं है। कंठिका हड्डी हालांकि टूटी हुई पाई गई लेकिन स्वरयंत्र और श्वास नली बरकरार पाई गई।

17. हमें ग्रीवा कशेरुकाओं के किसी भी प्रकार के विस्थापन की भी कोई सूचना नहीं मिली है। जैसा कि डॉक्टर (अभी. सा. 5) ने टिप्पणी की है कि उन्हें शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई खरोंच, घर्षण या चोट के निशान नहीं मिले। हालांकि, हमें पता चला है कि डॉक्टर ने ऐसी कोई जांच या टिप्पणी नहीं की है जो इंगित करता है कि उन्होंने फेफड़ों की सतह पर "वातस्फीतिक बुलबुले" की तलाश की थी। फांसी के मामले में फेफड़ों की सतह पर "वातस्फीतिक बुलबुले" की उपस्थिति की अच्छी

संभावनाएं होती हैं, जो किसी व्यक्ति का गला घोंटने पर कभी नहीं होती है।

18. इसके अलावा, हमने पाया है कि दो स्वतंत्र गवाह अखिलेश कुमार शुक्ला (अभी. सा. 6) और सतीश कुमार तिवारी (अभी. सा. 8) ने इस बात से इनकार किया है कि मृतक के साथ उत्तरदाता सं. 2 द्वारा कभी भी दुर्व्यवहार किया गया था। मृतक और उत्तरदाता सं. 2 गैमन इंडिया कंपनी द्वारा प्रदान किए गए एक आधिकारिक आवास में रहते थे जहाँ अभी. सा. 6 और 8 भी कार्यरत थे और उत्तरदाता सं. 2 के पड़ोस में रहते थे। मृतक हमेशा एक खुशहाल महिला के रूप में दिखाई देती थी। हालाँकि, इनमें से एक गवाह ने कहा है कि जब मृतक के परिवार के सदस्य आए, तो उन्होंने उत्तरदाता सं. 2 द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाना शुरु कर दिया, जो अभियोजन पक्ष के दोनों गवाहों के लिए अब तक अज्ञात था।

19. इसी संदर्भ में, हमने बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों अमरेंद्र मिश्रा (ब. सा. 1) और वशिष्ठ नारायण सिंह (ब. सा. 2) के बयानों की जाँच की है।

20. अमरेंद्र मिश्रा भी गैमन इंडिया के कर्मचारी हैं जिन्होंने विचारण के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक ने कभी भी उसकी पत्नी या उससे किसी भी दुर्व्यवहार के बारे में बात नहीं की। उन्हें हमेशा इलाज के लिए पटना ले जाया जाता था। उन्हें याद आया कि मृतक को उत्तरदाता सं. 2 द्वारा जम्मू की यात्रा के लिए भी ले जाया गया था। उत्तरदाता सं. 2 ने मदद मांगी थी जब मृतक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। उसी समय अभी. सा. 6 और 8 और बचाव पक्ष के गवाह उत्तरदाता सं. 2 के घर आये लेकिन उन्होंने पाया कि मृतक की मौत फांसी से हुई है।

21. वशिष्ठ नारायण सिंह, एक अन्य बचाव पक्ष गवाह, उत्तरदाता सं. 2 के चाचा है जिन्होंने भी पति-पत्नी के बीच अच्छे संबंधों की बात कही है।

22. इसके अलावा, उत्तरदाता सं. 2 की ओर से श्री मुकेश कुमार ने इस न्यायालय का ध्यान दो अन्य तथ्यों की ओर भी आकर्षित किया है, अर्थात् मृतक की मृत्यु के तुरंत बाद, उत्तरदाता सं 2 द्वारा एक यू. डी. मामला दर्ज किया गया था। अपीलकर्ता /सूचनाकर्ता ने शायद यह मामला केवल उत्तरदाता सं. 2 और उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मृतक द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को वापस करने से इनकार करने पर ही दर्ज कराया था। उपर्युक्त आरोप के समर्थन में, श्री मुकेश ने आगे बताया है कि जब उत्तरदाता सं. 2 इस मामले के संबंध में जेल गया था, अपीलकर्ता /सूचनाकर्ता अपने सहयोगियों के साथ जबरन उसके घर में घुस गया था और उसका सामान की तोड़ फोड़ की और मृतक की बताई गई कुछ कीमती वस्तुओं को भी ले गया था। अपीलकर्ता /सूचनाकर्ता के इस कार्य के लिए, उत्तरदाता सं. 2 द्वारा एक शिकायत मामला भी दर्ज किया गया था।

23. इस प्रकार, हम पाते हैं कि मृतक के साथ उसके द्वारा आत्महत्या करने से पहले किसी भी दुर्व्यवहार के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख में नहीं है। मृतक के आत्महत्या करने से तीन दिन पहले रेफ्रिजरेटर की मांग की कहानी भी साबित नहीं हो सकी। जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के टेलीफोन की सी. डी. आर. नहीं निकाली थी जो यह साबित करने के लिए एक सबूत हो सकता था कि मृतक ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात की थी। यह कि मृतक के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, इस तथ्य से और स्पष्ट होता है कि आज तक यानी मृतक की मृत्यु के समय तक, उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। उत्तरदाता सं.2 द्वारा अपीलकर्ता के परिवार में यह कहना कि पत्नी की हत्या कर पुनः विवाह करने की प्रथा आम है, एक क्रूरतापूर्ण प्रकृति का कथन है। उन्होंने कभी ऐसा बयान दिया भी था या नहीं, यह भी संदिग्ध है

24. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वर्मा का यह तर्क कि विचारण न्यायालय ने भा. दं. सं. की धारा 304 बी के तहत आरोप के पहलू पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया, इस कारण से टिकने योग्य नहीं है कि भले ही विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में निहित प्रावधानों को लागू करने के बारे में सोचा हो, लेकिन अभियोजन पक्ष को पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत अपराध का गठन करने वाले सभी तथ्यों को स्थापित करना था।

25. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमें कोई सबूत नहीं मिला है यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, मृतक के साथ दहेज के लिए दुर्व्यवहार या यातना दी गई थी।

26. इस प्रकार, हमें उत्तरदाता सं. 2 को बरी करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

27. इस प्रकार याचिका खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

सुनील कुमार

अमित कु.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।